

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार शिक्षा प्रसार अधिकारी को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरंतर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है:-

क्रम सं.	नाम शिक्षा प्रसार अधिकारी मय पदस्थापन स्थान(राजमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	T ग्रेड में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी. I,II,III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	बाबूलाल यादव, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय बीईईओ, प.स. विराटनगर (जयपुर)	30.06.58	11.09.95 शिक्षा प्रसार अधिकारी	सीधी भर्ती	II, 20 वर्ष	15800-39100	6000	11.09.15

उपरोक्त शिक्षा प्रसार अधिकारी का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,


बीकानेर

दिनांक:- 7.7.17

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/एसीपी/10970/2017/280

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक
- ✓ 2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित संस्था प्रधान/शिक्षा प्रसार अधिकारी
5. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर